

## छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

### प्रश्न

उत्तर भेजने का अन्तिम दिनांक : 27/02/2026

वर्ग : 5 सदन में उत्तर देने का दिनांक : 09/03/2026 विभाग का नाम : खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण

विषय : पीडीएस (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) के अंतर्गत खाद्यान्न का उठाव एवं वितरण

( अतारांकित प्रश्न क्रमांक : 1417 ) श्रीसंदीप साहू

क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या वर्ष 2025 में जिला बलौदाबाजार-भाटापारा, रायपुर, महासमुंद एवं सारंगढ़-बिलाईगढ़ में पीडीएस (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) के अंतर्गत राशन कार्डों में फर्जी सदस्यों के नाम जोड़कर फर्जी सूची के आधार पर खाद्यान्न का उठाव एवं वितरण किया गया, जिससे भारी अनियमितता हुई? यदि हाँ, तो कितने फर्जी राशन कार्ड एवं फर्जी सदस्यों की पहचान की गई है? विवरण जिलेवार दे ? (ख) इस संबंध में दोषी पाए गए पीडीएस संचालकों / शासकीय अधिकारियों / कर्मचारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्रवाई की गई है? (ग) इस प्रकरण में कुल कितनी मात्रा में खाद्यान्न सामग्री की हेराफेरी पाई गई तथा उसकी अनुमानित आर्थिक क्षति कितनी है? क्या इस मामले में किसी प्रकार की एफआईआर दर्ज की गई है अथवा आर्थिक वसूली / रिकवरी की गई है? यदि हाँ, तो उसका जिला-वार विवरण क्या है?

Sent From : vidhan | Sent Date : 17/02/2026 02:08:50 |

### Remark :

Collector  
Balodabazar  
Raipur  
mahasamund  
Sarangarh